



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052020-219332
CG-DL-E-11052020-219332

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2020/वैशाख 21, 1942

No. 116]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2020/VAISAKHA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2020

मामला सं. : एडीडी-(ओ आई) 07/2020

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 6/8/2020-डीजीटीआर.—1. मै. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने कि चीन जन.गण. और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया है और पूर्वोक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

संबद्ध देश

3. आवेदक ने चीन जन.गण. और यू एस ए से पाटन और क्षति का दावा किया है। तथापि, यू एस ए से पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से कम होने पर गौर किया गया है। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स” है।

5. पीयूसी रासायनिक रूप से टाइटेनिक डाईऑक्साइड से कोटित माइकानेनियस और चमकीला पर्लेसेंट पिगमेंट है और इसे बाजार में वाणिज्यिक रूप से टाइटेनियम डाई ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट या पर्ल पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। इसका व्यापक रूप से रंग और अन्य प्रभाव देने में प्रयोग होता है जैसा इस प्रकार वर्णित है : कतिपय अकार्बनिक पिगमेंट/कलरिंग एजेंट जो चमकीला/साइनिंग फ्रोस्टेड प्रभाव देते हों, ऐसे पर्लेसेंट प्रभाव, धात्विक प्रभाव, कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए डाले जाते हैं।

6. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय-32 के अधीन उपशीर्ष 3206 11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही पीयूसी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है और कथित पाटित आयातों और आवेदक द्वारा विनिर्मित घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग की दृष्टि से कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग

8. यह आवेदन मै. सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है जो 100 प्रतिशत भारतीय उत्पादन करता है। आवेदक ने दावा किया है कि वे नियमावली के नियम 2(ख) के भीतर भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने बताया है कि वे सुदर्शन (शंघाई) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (चीन) और सुदर्शन नॉर्थ अमेरिका इंक (यू एस ए) से संबंधित हैं। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि इन कंपनियों ने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है।

9. प्रदत्त सूचना के अनुसार, आवेदक ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से आवेदक द्वारा आयातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि उसे पात्र घरेलू उद्योग हाने से अयोग्य ठहरा दे।

10. प्रदत्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में किए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से किया गया है।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबन्ध-1 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होना चाहिए।

12. आवेदक ने चीन जन.गण. के लिए यूरोपीय संघ को “प्रतिनिधि देश” बनाए जाने का प्रस्ताव किया है। आवेदक ने ई यू में अपने संबंधित व्यापारी को उनके द्वारा निर्यातित वस्तु की पुनः बिक्री कीमत को चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य माने जाने का प्रस्ताव किया है।

निर्यात कीमत

13. आवेदक ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत का दावा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

14. आवेदक ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की है और चीन जन.गण. से पी यू सी के संबंध में प्रथम दृष्टया न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन का दावा किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर “परिकल्पित सामान्य मूल्य (सीएनवी)” का संदर्भ लिया है। सी एन वी के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातकों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वृद्धि, लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में उसका कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल चीन जन.गण. से आयात के संबंध में पाटन और क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य सिद्ध हुए हैं। अतः प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि

17. आवेदक ने 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की अवधि के लिए सूचना प्रदान की है और जांच अवधि (पीओआई) के रूप में 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 या 01 सितंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 का प्रस्ताव किया है। यद्यपि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा यथाप्रदत्त 9 महीने अर्थात् 01 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 के आंकड़ों का विश्लेषण किया है, तथापि, नियमावली के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की जांच अवधि का प्रस्ताव किया गया है। क्षति अवधि में अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना जांच शुरुआत अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर

कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2020

Case No. ADD-OI-07/2020

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/8/2020-DGTR.—1. M/s Sudarshan Chemical Industries Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Anti-dumping investigation on imports of “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade” (hereinafter also referred as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR and United States of America.

2. The Applicant has alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and United States of America and consequent injury to the domestic industry, and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the aforesaid countries.

Subject Countries

3. The Applicant has claimed dumping and injury from China PR and USA. However, the dumping margin from USA is noted to be below *de-minimis*. Accordingly, the subject country for the present investigation is China PR.

Product under consideration

4. The PUC in the present investigation is “Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade”.
5. The PUC is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such as described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/shinning frosted effects, such as pearlescent effects, metallic effects, for coating, inks and plastics application.
6. The product is classified under the Chapter 32 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under sub heading 3206 11. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

7. The Applicant has claimed that the PUC, which is dumped into India, are like article to the goods produced by the domestic industry and that there are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the alleged dumped imports and the domestically produced goods manufactured by the Applicant. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules.

Domestic industry

8. The application has been filed by M/s Sudarshan Chemical Industries Limited. The Applicant has claimed that it is the sole producer of the product under consideration in India, constituting 100% of the Indian production. The Applicant has claimed that they are not related to any importer in

India within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The Applicant has stated that they are related to Sudarshan (Shanghai) Trading Company Limited (China) and Sudarshan North America Inc. (USA). However, the Applicant has claimed that these companies have not exported the subject goods to India.

9. As per the information provided, the Applicant has imported the subject goods from China PR. It is noted that the volume of imports by the Applicant from China PR is not significant to disqualify it from being treated as eligible domestic industry.
10. On the basis of information provided, the Authority is prima facie satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Normal Value in China PR

11. Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and normal value should be determined in accordance with provisions of Annexure 1 of the Rules.
12. The Applicant has proposed European Union as the “surrogate country” for China PR. The Applicant has proposed to consider the resale price of the goods exported by them to its related trader in EU as the normal value for China PR.

Export price

13. The Applicant has claimed the export price for subject goods from China PR based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) import data. Adjustments have been made claimed for ocean freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and inland freight.
14. The Applicant has compared normal value and the export price at ex-factory level, and prima facie claimed dumping margin above the *de-minimis* in respect of the PUC from China PR. The Authority has referenced the ‘Constructed Normal Value (CNV)’ on the basis of cost of production of the domestic industry. On the basis of the CNV, the Authority notes that dumping margin is positive and above *de-minimis* for China PR.

Injury and Causal Link

15. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has claimed that imports are undercutting the prices of the domestic industry which has led to decline in selling prices of the Domestic Industry. As a result of dumped imports of subject goods from China PR, its performance has been adversely impacted in respect of growth, profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from China PR.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

16. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the China PR, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, notes that the prima facie evidence of Dumping and Injury has been established on the imports from China PR only. The Authority therefore hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from China PR, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Period of Investigation

17. The Applicant has provided information for the period 1st April 2019 to 31st December 2019 and has proposed period of investigation (POI) as 1st April 2019 to 31st December 2019 or 1st September 2019 to 31st March 2020. The Authority has, though, undertaken analysis of 9 months data i.e 1st April 2019 to 31st December 2019 as provided by the Applicant, POI has been proposed as

1st April 2019 to 31st March 2020, keeping in view the relevant provisions of the Rules. The injury period will cover the periods April 2016-March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and POI.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID -19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in
20. The known producers/exporters in the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

Time Limit

23. In view of the special circumstances arising out of COVID -19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within 60 days of the issue of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-Cooperation

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority